हिन्दू-संगठन एवं हिन्दू राष्ट्रकी स्थापना हेतु कार्यरत

हिन्दू जनजागृति समिति

पंजीयन क्र. : 1540/I-634, १२.११.२००२, फोंडा, गोवा.

चल-दूरभाष
९३२६१०३२७८
इ-मेल
contact@HinduJagruti.org
जालस्थल (वेबसाइट)
www.HinduJagruti.org

पंजीकृत कार्यालय : 'मधु स्मृति', प्रथम तल, बैठक सभागृह, घर क्र. ४५७, सत्यनारायण मन्दिरके निकट, ढवळी, फोंडा, गोवा ४०३ ४०१.

।। जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ।।

दिनांक : २२.१.२०१५

प्रति,
मा. संपादक / मुख्य पत्रकार,
.....

कृपया प्रसिद्धि के लिए

'पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिति'में करोडों रुपयों का भ्रष्टाचार; राज्यव्यापी आंदोलन का आरंभ

घोटालों की सीबीआय जांच कर दोषियों पर कडी कार्यवाही करें और मंदिर शासनमुक्त कर भक्तों के नियंत्रण में दें ! – हिन्दू जनजागृति समिति की मांग

मुंबई – साडेतीन शक्तिपीठों में से एक श्री महालक्ष्मी मंदिर, करोडों श्रद्धालुओं के आस्थास्थान श्री जोतिबा देवालय के साथ ही कोल्हापुर, सांगली तथा सिंधुदुर्ग इन ३ जिलों के ३०६७ देवस्थान जिस 'पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति' के नियंत्रण में हैं, उस समिति ने देवस्थान के व्यवस्थापन में तथा कार्यकालाप में बडे-बडे घोटाले किए हैं, इसका भांडाफोड आज हिंदू विधिज्ञ परिषद ने सबूतों के साथ किया । हिंदू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुंबई उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर ने सूचना के अधिकार से प्राप्त यह सारी जानकारी उजागर की । देवस्थान के ये घोटाले, भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर हैं और इस प्रकरण में देवस्थान समिति को तत्काल शासनमुक्त कर भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड दिया जाए । इस प्रकरण में हिन्दू जनजागृति समिति ने राज्यव्यापी आंदोलन छेडा है, जिसका आरंभ १५ जनवरी २०१५ को सर्व हिन्दुत्ववादी, भाविक एवं जिज्ञासुओं की ओर से श्री महालक्ष्मी मंदिर में देवी से मनौती मांगकर हुआ है । यह राज्यव्यापी आंदोलन 'राष्ट्रीय हिन्दू आंदोलन' इस नाम से सर्व हिन्दुत्ववादी संगठनों द्वारा एकत्र आकर मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, जलगांव, धुळे, यवतमाळ, वर्धा आदि जिलों में किया जाएगा । इसके साथ ही २ फरवरी को कोल्हापुर में भव्य आंदोलन का आयोजन किया गया है । इन आंदोलनों में सर्व समविचारी संगठन एवं भक्त सहभागी हों, ऐसा आवाहन हिन्दू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र राज्य प्रवक्ते श्री. अरविंद पानसरे ने पत्रकार परिषद में की है । इस अवसर पर सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री. संदीप शिंदे और अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासंघ के डॉ. विजय जंगम (स्वामी) भी उपस्थित थे ।

देवस्थान समिति के घोटाले

वर्ष १९६९ से सन २००४ तक ३५ वर्षों का लेखापरीक्षण नहीं हुआ । सन २००४ के उपरांत एकत्र लेखापरीक्षण किया गया, उसके आगे भी इसी प्रकार वर्ष २००५ से २००७ तक एकत्र लेखापरीक्षण किया गया । वर्ष २००८ से आगे का लेखापरीक्षण अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है । श्री महालक्ष्मी देवस्थान तथा केदारलिंग देवस्थान को छोडकर प्रत्येक देवस्थान के अलंकार कितने हैं ? उनका मूल्य क्या है ? इस विषय में समिति के पास कोई भी रजिस्टर नहीं है । समिति स्थापित होने के समय का एक रजिस्टर था; परंतु आगे उसमें कितनी बढोतरी हुई ? अलंकारों का क्या किया गया, इसकी कोई जानकारी देवस्थान समिति के पास नहीं है । इसका अर्थ इन बातों की समिति ने जानबूझकर अनदेखी की है, यह दिखाई देता है । अनेक बार श्रद्धालु दान पेटी / सहायता पेटी में नकद के अतिरिक्त

अलंकार भी डालते हैं । ऐसे अलंकारों का ध्यान रखना बाध्यकारी है, परंतु उसका उल्लेख ही नहीं है, ऐसी गंभीर बात भी लेखापरीक्षक तथा जिलाधिकारियों ने अपनी जांच में दिखानेपर भी उसका समाधान खोजने की अपेक्षा उसे कचरापेटी में डाल दिया गया ।

*** देवस्थानों के भूखंडों में भी बडे-बडे अनुचित प्रकार**

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति के पास २००९-१० के सबूतों के अनुसार न्यूनतम २३००० से २५००० एकड भूखंड होते हुए भी २०१३ में वे ६७७७ हेक्टर १९ आर (अर्थात लगभग १६ हजार ९६१ एकड) हो गए । शेष ७ हजार एकड भूखंड का क्या हुआ ? इसका क्या अर्थ निकलता है ? अनेक स्थानों पर इमारतें हैं, वृक्षसंपत्ति है । ये भूखंड अनेक स्थानों पर किराए पर दिए हैं; परंतु उनसे कितना किराया आता है, इसका रजिस्टर नहीं है

*** अन्य कुछ गंभीर त्रुटियां**

देवस्थान समिति के भूखंडों में से कुछ भूखंडों पर खननकर्म (माईनिंग) होती है; परंतु उसकी रॉयल्टी देवस्थानलको नहीं मिलती । लेखापरीक्षकों के अंदाजके अनुसार वर्ष २००७ में ही रॉयल्टी की शेष राशि २ से ३ करोड रुपए के आसपास थी । १९८५ से खननकर्म हो रहा है, तब भी देवस्थान को रॉयल्टी नहीं मिलती । खनन की अनुमति किसने दी, यह शासन को ज्ञात नहीं । शासन की अनुमति के बिना ही यह खनन हो रहा है । इससे यह हजारो करोड रुपयों का घोटाला होनेकी आशंका है । इस समिति में राजनीतिक दल तथा नेताओं के चाटुकारों को घुसाया गया है । इसलिए देवस्थान समिति का भ्रष्टाचार बढता गया । विशेषरूप से देवस्थान समिति के घपलों की जानकारी होते हुए भी कांग्रेस गठबंधन शासन ने भ्रष्टाचारियों को बचाकर जनता के साथ घोर विश्वासघात किया है । ऐसे घोटाले किसी भी मंदिर में न हों, इसके लिए भिन्न कानून बनाकर मंदिर भक्तों के नियंत्रण में दिए जाएं । जिससे वे हिंदू धर्म के वास्तविक अर्थों में ऊर्जाकेंद्र बनेंगे, यह भाजपा-शिवसेना शासन से अपेक्षा है । इस **प्रकरणमें शीघ्र ही हम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनके जनक श्री. अण्णा हजारे से भी मिलेंगे तथा उनसे भी इस आंदोलन में सहभागी होने की विनती करेंगे ।**

*** हमारी प्रमुख मांगें...**

१. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति के करोडो रुपयों के घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण से करवाई जाए ।

२. 'पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति' को शासनमुक्त कर भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड दिया जाए ।

*** जाहीर आवाहन**

१. इन राज्यव्यापी आंदोलनों में सर्व हिन्दुत्ववादी, भाविक और जिज्ञासु बडी संख्या में उपस्थित रहें ।

२. 'पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति'में भ्रष्टाचार के विषय में अथवा अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हो, तो वह भी हिन्दू जनजागृति समिति को दें ।

आपका नम्र,

श्री. अरविंद पानसरे, प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य,
हिन्दू जनजागृति समिति, संपर्क क्र. ८४५१००६०१४